रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2017/पौष 23, 1938

No. 25] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2017/PAUSA 23, 1938

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 28(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक का कार्यालय, राजपत्रित और अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2009, जहां तक उनका संबंध निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, सहायक और आशुलिपिक के पदों से है को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण मे पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कानूनी निकाय, प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक का कार्यालय, में निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, सहायक और आशुलिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक का कार्यालय, (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) मे स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**– भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल ।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. निजी सचिव	*4 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' राजपत्रित पद के समकक्ष	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 (47600 – 151100 रुपये)।	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति आमेलन आधार द्वारा।	प्रोन्नति : प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक का कार्यालय में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 (44900-142400 रुपये) में निजी सहायक के

			रूप में छह वर्ष की अनुमोदित सेवा करने वाले प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे। टिप्पण 1: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेड में पदावास (रेजीडेंसी) अवधि के रूप में की गई अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी: (i) उस ग्रेड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के संदर्भ में, उस ग्रेड में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परंतु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से; (ii) उस ग्रेड में किसी निम्नतर ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के संदर्भ में, उस ग्रेड में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गई थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

			परंतु [illegible] (ii) में [illegible] मामले में जहां [illegible] कार्यग्रहण करने में [illegible] अधिक का विलम्ब [illegible] ऐसा विलम्ब अधिकारी [illegible] ओर से किसी भी चूक के [illegible] नहीं होना चाहिए। टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमिमत आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	*6 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह, "ख" अराजपत्रित पद के समकक्ष।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 (44900 -142400 रुपये)।	अचयन।	18 और 27 वर्ष के बीच । (इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या शारीरिक विकलांग या भूतपूर्व सैनिकों के लिए शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण.—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
आवश्यक: 1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक । 2. अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि गति और 40 शब्द प्रति मिनट	नहीं	सीधी भर्ती की दशा में दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति .—प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक का कार्यालय में ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (25500 - 81100 रुपये) में दस वर्ष की अनुमोदित सेवा की है । टिप्पण 1 : भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेड में पदावास (रेजीडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के

टंकण गति 3. कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान जैसे कि निजी कम्प्यूटर, वर्ड प्रोमेसिंग, ईंटरनेट और ई-मेल का उपयोग और प्रचालन।				लिए की जाएगी । भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी: उस ग्रेड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के संदर्भ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से; परन्तु उपर्युक्त उपखंड में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नही होना चाहिए । टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित

कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान जैसे कि निजी कम्प्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग, ईंटरनेट और ई-मेल का उपयोग और प्रचालन।				लिए की जाएगी । भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी: उस ग्रेड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के संदर्भ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से; परन्तु उपर्युक्त उपखंड में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नही होना चाहिए । टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित

				पुनरीक्षित वेतन संरचना का [illegible] गया है, नियमित आधार पर [illegible] को उक्त वेतन आयोग की [illegible] आधारित विस्तारित तत्स्थानी [illegible] मैट्रिक्स में लेवल पर की गई सेवा [illegible] जाएगी । प्रतिनियुक्ति या आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृय पद धारण किए हुए है; या (ii) जिनके पास मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35400-112400 रुपये) में पांच वर्ष का अनुभव है; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (25500 – 81100 रुपये) में दस वर्ष की नियमित सेवा की है । (आशुलिपि काडर में उपरोक्त अनुभव को ही विचार में लिया जाएगा) (ख) कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान जैसे पर्सनल कम्प्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग इंटरनेट और ई-मेल का उपयोग और प्रचालन। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
[illegible] प्रोन्नति समिति (पुष्टि या प्रोन्नति के संबंध में) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- [illegible] (वित्त और प्रशासन), - अध्यक्ष [illegible] प्राधिकरण नियंत्रक का कार्यालय [illegible] निदेशक, इलेक्ट्रॉनिनकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या अन्य मंत्रालय - सदस्य। या विभाग से अवर सचिव, भारत सरकार या समतुल्य स्तर का अधिकारी	लागू नही होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. सहायक	*2 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ख' अराजपत्रित पद के समकक्ष।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 (44900-142400 रुपये)।	अचयन।	18 और 27 वर्ष के बीच। (इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए शिथिल की जा सकती है । टिप्पण.—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीती जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री। वांछनीय : कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान।

					पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति या आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृय पद धारण किए हुए है; या (ii) जिनके पास मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35400-112400 रुपये) में पांच वर्ष का अनुभव है; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (25500 – 81100 रुपये) में दस वर्ष की नियमित सेवा की है । (आशुलिपि काडर में उपरोक्त अनुभव को ही विचार में लिया जाएगा) (ख) कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान जैसे पर्सनल कम्प्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग इंटरनेट और ई-मेल का उपयोग और प्रचालन। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती की दशा में दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति या आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी :- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनके पास मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35400-112400 रुपये) में पांच वर्ष का अनुभव है ; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (25500-81100 रुपये) में दस वर्ष की नियमित सेवा की है। (प्रशासनिक/लिपिक काडर में उपरोक्त अनुभव को ही विचार में लिया जाएगा) टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि या प्रौन्नति के संबंध में) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक(वित्त और प्रशासन), प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक का कार्यालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या अन्य मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव, भारत सरकार या समतुल्य स्तर का अधिकारी - सदस्य।	लागू नही होता।

1	2	3	4	5	6
आशुलिपिक	*3 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह, "ग" पद के समकक्ष।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (25500-81100 रुपये)।	चयन।	18 और 27 वर्ष के बीच। (इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2.—रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण। (ii) कौशल परीक्षण मानक :- श्रुतलेखन : 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट अनुलिपिकरण : 50 मिनट (अंग्रेजी) या 65 मिनट (हिन्दी) (केवल कम्प्यूटर पर) टिप्पण : भर्ती के समय अंग्रेजी या हिन्दी या दोनों का ज्ञान आवश्यक है । भर्ती के समय अभ्यर्थी को अंग्रेजी या हिन्दी का विकल्प दिया जाएगा । यदि भर्ती के समय अभ्यर्थी को हिन्दी का ज्ञान नहीं है तो उसे अपने/अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त करना अपेक्षित होगा।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति आमेलन के आधार पर जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (क) खुला विज्ञापन, या (ख) रोजगार कार्यालय

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन: भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभाग या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियमित क्षमता में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी । टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति का प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को, सिवाय उस दशा	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि या प्रोन्नति के संबंध में) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक (वित्त और प्रशासन) प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक का कार्यालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या अन्य मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव, भारत सरकार या समतुल्य स्तर का अधिकारी - सदस्य।	लागू नही होता।

एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित साधारण वेतन मैट्रिक्स में लेवल एक श्रेणी में विलय हो गया है और वह लाभ केवल उस पद (उन पदों) विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी। भूतपर्व भूतपूर्व सैनिकों के लिए: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार विमर्श किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।		

[फा. सं. 1(10)/2015-का.III]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2017

G.S.R. 28(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and in supersession of the Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Controller of Certifying Authorities, Gazetted and Non-Gazetted posts Recruitment Rules, 2009, in so far as they relate to the posts of Private Secretary, Personal Assistant, Assistant and Stenographer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary, Personal Assistant, Assistant and Stenographer in the Office of Controller of Certifying Authorities, a statutory body under the Ministry of Electronics and Information Technology, namely :-

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Office of Controller of Certifying Authorities, (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix**.—The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age – limit and other qualifications, etc**.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of Post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether Selection post or non-Selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Private Secretary	*4 (2016) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' Gazetted post in Central Government.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600- 151100).	Non-selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Promotion, failing which by deputation absorption basis.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(11)
Promotion: Six years of approved service as Personal Assistant in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900- 142400) in the Office of Controller of Certifying Authorities shall be eligible for promotion. **Note 1**: The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will be counted for promotion. The expression "Approved Service" for the various modes of recruitment, shall be as under,-

respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;

(ii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:

Provided that where there is delay of more than Ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i) and (ii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016, the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation or Absorption:

Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or Autonomous bodies.

i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

ii) with six years regular service in the grade of Stenographer Grade "C" or Personal Assistant or equivalent in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900- 142400).

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of : 1. Deputy Controller or Scientist 'G', Office of Controller of Certifying Authorities - Chairman 2. Director (Finance and Administration), Office of Controller of Certifying Authorities - Member 3. Officer of the level of Deputy Secretary to the Government of India or equivalent from Ministry of Electronics and Information Technology or other Ministry or Department - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Personal Assistant.	*6 (2016) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' Non-Gazetted post in Central Government.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Non-selection.	Between 18 and [illegible] years. (Relaxable for Government servants, Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes or Physically handicapped or Ex-Serviceman in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard. **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. Graduate from a recognized University. 2. Shorthand speed of 100 word per minute and typing speed of 40 word per minute in English. 3. Knowledge of computer operation such as usage and operation of Personal Computer, word processing, internet and e- mailing.	No	Two years in case of direct recruitment.	By promotion, failing which deputation or absorption, failing which by Direct Recruitment.

(11)
Promotion: Stenographer in the Office of Controller of Certifying Authorities with ten years approved service in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100). **Note 1**: The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will

for promotion. The expression "Approved Service" for the various modes of recruitment, shall be as under,-

In respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held:

Provided that where there is delay of more than Ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clause above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016, the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation or Absorption:

Officers of the Central government or State Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies :

(a) (i) holding analogous post on regular basis in Parent Cadre or Department; or
(ii) in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years of experience on regular basis in the parent cadre or Department; or
(iii) with ten years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).
(The above experience in stenography cadre will only be considered).

(b) Knowledge of computer operation such as usage and operations of Personal Computer, word processing, internet and e-mailing.

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group `B' Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation) consisting of: 1. Director (Finance and Administration), Office of Controller of Certifying Authorities - Chairman 2. Joint Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member 3. Officer of the level of Under Secretary to the Government of India or equivalent from Ministry of Electronics and Information Technology or other Ministry or Department - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Personal Assistant.	*6 (2016) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' Non-Gazetted post in Central Government.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Non-selection.	Between 18 and [illegible] years. (Relaxable for Government servants, Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes or Physically handicapped or Ex-Serviceman in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard. **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. Graduate from a recognized University. 2. Shorthand speed of 100 word per minute and typing speed of 40 word per minute in English. 3. Knowledge of computer operation such as usage and operation of Personal Computer, word processing, internet and e- mailing.	No	Two years in case of direct recruitment.	By promotion, failing which deputation or absorption, failing which by Direct Recruitment.

(11)
Promotion: Stenographer in the Office of Controller of Certifying Authorities with ten years approved service in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100). **Note 1**: The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will

...for promotion. The expression "Approved Service" for the various modes of recruitment, shall be as under,-

...respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held:

Provided that where there is delay of more than Ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clause above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016, the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation or Absorption:

Officers of the Central government or State Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies :

(a) (i) holding analogous post on regular basis in Parent Cadre or Department; or
(ii) in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years of experience on regular basis in the parent cadre or Department; or
(iii) with ten years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).
(The above experience in stenography cadre will only be considered).

(b) Knowledge of computer operation such as usage and operations of Personal Computer, word processing, internet and e-mailing.

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group `B' Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation) consisting of: 1. Director (Finance and Administration), Office of Controller of Certifying Authorities - Chairman 2. Joint Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member 3. Officer of the level of Under Secretary to the Government of India or equivalent from Ministry of Electronics and Information Technology or other Ministry or Department - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant. ASO	*2 (2016) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' Non-Gazetted post in Central Government.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Non-selection.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants, Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes or Physically Handicapped in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Bachelor's Degree from a recognized University. **Desirable:** Knowledge of operation of Computer.	Not applicable.	Two years in case of direct recruitment.	By deputation or absorption, failing which by direct recruitment.

(11)
Deputation or Absorption: Officers of the Central government or State Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies: (i) holding analogous post on regular basis in Parent Cadre or Department; or (ii) in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years of experience on regular basis in the parent cadre or Department; or (iii) with ten years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100). (The above experience in administrative/clerical cadre will only be considered). **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
grapher.	*3 (2016) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'C' post in Central Government.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Selection.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants, Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes or Physically handicapped or Ex-Serviceman in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard. **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange and for open advertisement shall be the last date upto which the Employment Exchange and in the open advertisement is asked to submit.

(7)	(8)	(9)	(10)
i) 12^{th} Pass from a recognized Board or University. ii) Skill Test Norms -	Not applicable.	Two years for direct recruits.	Deputation absorption basis, failing which by direct recruitment

Dictation : 10 minutes @ 80 word per Minute. Transcription : 50 minutes (English) or 65 minutes (Hindi) (only on Computer). **Note**: Knowledge of English or Hindi or both at the time of recruitment is essential. The option of English or Hindi is given to the candidates at the time of recruitment. If at the time of recruitment candidates do not have knowledge of Hindi, he is required to acquire the same during his/her probation period.			a) Open Advertisement, b) Employment Exchange

(11)	(12)	(13)
Deputation or Absorption.— Officers holding analogous post in a regular capacity in other Ministries or Departments of Government of India or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation held against another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application. **Note 3:** For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2016 on the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix and there this benefit shall extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.	Group `C' Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation) consisting of: 1. Director (Finance and Administration), Office of Controller of Certifying Authorities -Chairman 2. Joint Director, Ministry of Electronics and Information Technology -Member 3. Officer of the level of Under Secretary to the Government of India or equivalent from Ministry of Electronics and Information Technology or other Ministry or Department - Member.	Not applicable.

[illegible] Serviceman: [illegible] Armed Forces personnel due to [illegible] or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be considered on re-employment.		

[F. No. 1(10)/2015-P.III]

Rajiv Kumar, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.01.16 11:40:58 +05'30'